समाहरणालय,कोडरमा।
(जिला–राजस्व शाखा)

ईच्छा की अभिव्यक्ति

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्यांक 30) की धारा 4 एवं झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के अध्याय III के आलोक में कोडरमा जिलान्तर्गत महतो अहरा–रामपुर बसरिया पथ चौड़ीकरण, डोमचाँच–पिपचो पथ निर्माण एवं बरियारडीह मरकच्चो पथ चौड़ीकरण परियोजनाओं का सामाजिक समाघात के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचनाओं द्वारा Empanelled एजेंसियों से परियोजनावार दर (Rate) प्रस्ताव की मांग सील लिफाफे में दिनांक–28.11.2017 को अपराहन 3:00 बजे तक की जाती है। प्राप्त दर प्रस्ताव संबंधी लिफाफे को उसी दिन 4:00 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोला जाएगा। विस्तृत जानकारी जिला के वेबसाइट www.koderma.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त
कोडरमा।

ज्ञापांक– 1794 / रा0   दिनांक– 09 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :– 1 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ। प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करते हुए निदेश है कि उक्त सूचना का प्रकाशन तीन स्थानीय समाचार पत्रों प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

2 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को प्रकाशन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करते हुए निदेश है कि जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

3 सूचना पट पर ।

उपायुक्त
कोडरमा।

नियम एवं शर्ते :–

1 एस0 आई0 ए0 इकाई को LARR Act 2013 एवं JLARR Rule 2015 में S.I.A हेतु उल्लिखिति उपबंधों के आधार पर S.I.A कार्य निस्पादित करना होगा।

2 एस0 आई0 ए0 कार्य हेतु नियुक्त एस0 आई0 ए0 दल में अधियाची निकाय किसी प्रकार से अन्तर्ग्रस्त नहीं होगा।

3 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इसके प्रारंभ होने की तारीख से छः माह के अन्दर प्रपत्र III में समर्पित किया जाएगा जिसमें प्रभावित परिवारों के लिखित रूप में अभिलिखित किये गये विचार सम्मिलित होंगे।

4 उक्त अधिनियम की धारा 4 (6) के अधीन परियोजना के प्रभाव को दूर करने के लिए किये जाने वाले अपेक्षित बेहतर उपायों को सूचीबद्ध कर सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना प्रपत्र IV में सौंपेगा।

5 किसी भी स्थिति में एस0आई0ए0 दल या एस0आई0ए0 इकाई असमर्थ या अन्य कोई कारण से एस0 आई0 ए0 प्रक्रिया को पूर्ण करने और एस0 आई0 ए0 प्रतिवेदन या एस0 आई0 एम0 पी0 प्रतिवेदन तैयार करने में असमर्थ हो जाता है तो कारण पृच्छा के द्वारा उक्त एस0 आई0 ए0 एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं एस0 आई0 ए0 हेतु किसी दूसरे एस0 आई0 ए0 इकाई को कार्य आवंटित कर दिया जाएगा।

6 एस0 आई0 ए0 इकाई भू–अर्जन प्रस्ताव का पुनर्विलोकन कर परियोजना विशेष विचारणीय विषय (टी0ओ0आर0) और बजट 15 दिनों के अन्दर समर्पित करेगी। परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या एवं अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों पर आधारित होगा।

7 दर प्रस्ताव संबंधी लिफाफे खुलने के दिन S.I.A. इकाई के प्रतिनिधि की स–समय उपस्थिति वांछनीय है।

8 परियोजना संबंधी एवं परियोजना प्रभावित परिवारों से संबंधित सूचना भू–अर्जन कार्यालय (राजस्व शाखा) से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

उपायुक्त
कोडरमा।